समाहरणालय, मधुबनी

(जिला स्थापना शाखा)

—: आ दे श :—

श्री मधुप नारायण चौधरी, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, खजौली द्वारा वित्तीय वर्ष 2006—07 में अल्प राजस्व की वसूली, बासगीत पर्चा, बटायदारी, व्यवसायिक लगान एवं भूमि वन्दोवस्ती आदि का सर्वेक्षण कर प्रस्ताव नहीं समर्पित करने के लिये स्पष्टीकरण की मांग की गयी और जिसका जवाब उनके द्वारा समर्पित नहीं किया गया। राजस्व वसूली नगण्य रहने के कारण ज्ञापांक—617 दिनांक—06.10.2006 द्वारा इस कृत के लिये चेतावनी दी गयी थी, जिसका महत्व नहीं दिया गया एवं अल्प दाखिल—खारिज, जमाबन्दी की जाँच तथा कम्पाईलेशन शीट तैयार नहीं किये जाने हेतु स्पष्टीकरण की मांग श्री चौधरी से की गयी थी, जिसका प्रतिउत्तर उनके द्वारा समर्पित नहीं किया गया। उनके द्वारा कर्त्तव्य के निर्वहन में लापरवाही एवं अनियमितता बरतने के आरोप में श्री चौधरी के विरूद्ध प्रपत्र—'क' में आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालन करने का निर्णय लिया गया।

उक्त वर्णित आरोप के लिए गठित आरोप पत्र प्रपत्र—'ख' पर इस कार्यालय के पत्रांक —1368/जि0स्था0 दिनांक—24.07.2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में श्री श्याम किशोर प्रसाद, जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी एवं उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में अंचल अधिकारी, खजौली को नियुक्त की गयी। संचालन पदाधिरकारी को 90 दिनों के अंदर विभागीय कार्यवाही का संचालन कर जाँच प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध समर्पित करने का निदेश दिया गया। सम्प्रति श्री प्रसाद, जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा एन0एच0—57 में भूमि अधिग्रहण के मुआवजा भुगतान की जाँच के क्रम में गिरफ्तार करने पर जेल चले जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक—1299/स्था0 दिनांक—11.09.2008 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी को विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में तथा अंचल अधिकारी, खजौली को पूर्ववत उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी—सह—संचालन पदाधिकारी के पत्रांक—1023 दिनांक—05.10.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के उपरान्त अभिलेखबद्ध जाँच प्रतिवेदन मंतव्य के साथ भेजी गयी है। उनके द्वारा दिनांक—30.09.2009 को अंतिम सुनवाई करते हुए अभिलेखबद्ध जाँच प्रतिवेदन आरोप, आरोपी का स्पष्टीकरण तथा उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्न प्रकार अंकित किया गया है :—

आरोप संख्या—01 :—

वित्तीय वर्ष 2006—07 में हल्का का मांग मो0 114828.00 रूपये के विरूद्ध श्री मधुप नारायण चौधरी, राजस्व कर्मचारी द्वारा अंचल नजारत में मात्र मो0 30750.00 रूपये दिनांक 01.03.07 तक जमा किया है।

आरोपी का स्पष्टीकरण :—

वित्तीय वर्ष 2006—07 में मांग 114828.00 रूपये दिनांक 01.03.07 तक अंचल नजारत में मो0 30750.00 रूपये जमा किया गया तथा दिनांक 31.03.07 तक 61250.00 रूपये जमा किया गया जो कुल मांग का 53 प्रतिशत है। जो कार्य में अभिरूचि रखने का द्योतक है। दिनांक 01.03.07 के बाद जमा राशि दिनांक 15.03.07 नाजिर रसीद संख्या—742719 5000.00, दिनांक 21.03.07 नाजिर रसीद संख्या—742733 3500.00, दिनांक 30.03.07 नाजिर रसीद संख्या—742745 9000.00, दिनांक 30.03.07 नाजिर रसीद संख्या—533206 13000.00 कुल 30500.00 रूपये।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य :–

श्री मधुप नारायण चौधरी, राजस्व कर्मचारी द्वारा दिनांक 31.03.07 तक 61250.00 रूपये वसूली करने का उल्लेख किया गया है जो मांग का 53 प्रतिशत है।

आरोप संख्या–02 :–

कार्यालय के ज्ञापांक 154 दिनांक 27.02.06 के द्वारा अल्प राजस्व की वूसली, वासगीत पर्चा, बटाईदारी, व्यवसायिक लगान, भूमि बन्दोवस्ती आदि का सर्वेक्षण कर प्रस्ताव समर्पित नहीं करने के लिए श्री चौधरी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी, जिसका जवाब अद्यतन अप्राप्त है।

आरोपी का स्पष्टीकरण :–

आरोप पत्र में ज्ञापांक 154 दिनांक 27.02.06 के द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण में कहना है कि वर्ष 2005–06 में शतप्रतिशत वसूली किया जा चुका है। वासगीत पर्चा का प्रस्ताव बनाकर कार्यालय में समर्पित किया गया है। बटाईदारी एवं व्यवसायिक लगान मेरे जानकारी में नहीं है।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य :–

इस आरोप के संदर्भ में समर्पित स्पष्टीकरण पर सहमत होते हुये चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जा सकता है।

आरोप संख्या–03 :–

कार्यालय के ज्ञापांक 617 दिनांक 06.10.2006 के द्वारा राजस्व वूसली नगण्य रहने के कारण श्री चौधरी को चेतावनी दी गई थी, जिसका उनके द्वारा कोई महत्व नहीं दिया गया।

आरोपी का स्पष्टीकरण :–

आरोप में दर्शाए गये आरोप ज्ञापांक 617 दिनांक 06.10.2006 निर्गत पत्र प्राप्त नहीं है। अतएव यह आरोप निराधार है।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य :–

इस आरोप के संदर्भ में दिये गये स्पष्टीकरण पर आरोपी को आरोप मुक्त किया जा सकता है।

आरोप संख्या–04 :–

कार्यालय के ज्ञापांक 678 दिनांक 04.11.06 के द्वारा अल्प राजस्व की वसूली करने, गाँव का चालू खतियान तैयार करने एवं कार्य में घोर लापरवाही बरतने के लिए इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी, जिसे महत्वहीन समझते हुए इनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

आरोपी का स्पष्टीकरण :–

आरोप में दर्शाये गए आरोप ज्ञापांक 678 दिनांक 04.11.06 के प्रत्युत्तर में तत्कालीन अंचल अधिकारी, खजौली को मैंने स्वहस्तलिखित प्रतिवेदन इनके कार्यालय प्रकोष्ट में जाकर प्रस्तुत किया। यहाँ यह भी बता दूँ कि मेरे हल्का के अन्तर्गत रिभिजनल सर्वे का खतियान दीमक लगने के कारण पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया, जिसका हल्का कार्यालय में जाकर तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, श्री मयंक बरबरे साहब भी हल्का निरीक्षण के दौरान पाए। जिसके कारण चालू खतियान नहीं बन पाया। अंचल अधिकारी से कई वार अनुरोध किया तो उन्होंने मुझे बन्दोवस्त कार्यालय जाकर खतियान लाने का निर्देश दिया, किन्तु सर्वे कार्यालय उनके पत्र का कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण मेरे हल्का का चालू खतियान नहीं बन पाया।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य :–

इस आरोप पर दिये गये स्पष्टीकरण भी स्वीकार करने योग्य है। अतः इस आरोप में भी मुक्त किया जा सकता है।

आरोप संख्या–05 :–

अधोहस्ताक्षरी के ज्ञापांक 221/रा0 दिनांक 15.01.07 ज्ञापांक 337/रा0 दिनांक 15.01.07, 272/रा0 दिनांक 15.01.07, 575/रा0 दिनांक 08.02.07 एवं 728/रा0 दिनांक 08.02.07 के द्वारा अल्प दाखिल खारिज, जमाबंदी की जाँच एवं कम्पाईलेशन सीट तैयार नहीं किये जाने हेतु स्पष्टीकरण हुआ है, जिसका अद्यतन कोई जबाब नहीं दिया गया है।

इस तरह उपरोक्त आरोपों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि आपको राजस्व की वसूली एवं अन्य वर्णित कार्यों के प्रति कोई अभिरूचि नहीं है, जो आपके लापरवाही अनुशासनहीनता एवं सरकार के उद्येश्य पूर्ति में बाधा पहुँचानेवाला आचरण को दर्शाता है।

आरोपी का स्पष्टीकरण :–

माननीय समाहर्त्ता द्वारा जिला के सभी राजस्व कर्मचारी का अल्प दाखिल खारिज कम्पाईलेसन सीट, जमाबंदी जाँच के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण पूछा गया था जिसका जबाब अंचल निरीक्षक द्वारा माननीय अपर समाहर्त्ता, मधुबनी को भेजा गया एवं अपर समाहर्त्ता महोदय अपने पत्रांक 1670 दिनांक 03.04.07 के द्वारा खजौली अंचल के सभी राजस्व कर्मचारी को स्पष्टीकरण से मुक्त करने की कृपा की थी। मैं विनम्र पूर्वक कहना चाहूँगा कि अपने लम्बे सेवा काल में मेरी वसूली एवं अन्य राजस्व कार्य कभी असंतोषप्रद नहीं रहा है। अपने सेवाकाल में कभी भी उच्चाधिकारी के मौखिक अथवा लिखित आदेश का कोई अवहेलना नहीं किया है। अतएव मुझ पर लगाए गए आरोप से मुझे मुक्त करने की कृपा की जाय।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य :–

इस आरोप के संदर्भ में भी आरोपी का स्पष्टीकरण सही है और आरोप मुक्त करने योग्य है। उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, खजौली द्वारा उपरोक्त में दिये गये मंतव्य के क्रम में आरोपी श्री मधुप नारायण चौधरी, राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध चल रहे विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य :–

अंचल अधिकारी, खजौली द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में दिखलाया गया है कि दिनांक–31.03.2007 तक मो0–61250.00 रूपये वसूली करने का उल्लेख किया गया है जो मांग का 53 प्रतिशत है। शेष सभी कंडिका पर आरोप से मुक्त करने हेतु प्रतिवेदित किया गया है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा अभिलेखबद्ध जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न सभी कागजातों के अवलोकनोपरान्त श्री चौधरी, राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का अनुशंसा किया गया है।

द्वितीय कारण पृच्छा :

संचालन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी के पत्रांक 1023 दिनांक 05.10.2009 द्वारा प्राप्त संचालन प्रतिवेदन के आलोक में श्री मधुप नारायण चौधरी, राजस्व कर्मचारी से इस कार्यालय के ज्ञापांक 1642 दिनांक 31.12.2009 एवं तत्सम्बन्धी स्मार ज्ञापांक 247 दिनांक 15.02.2010 तथा ज्ञापांक 617 दिनांक 12.04.2010 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा मांग की गयी। उक्त पत्र के आलोक में श्री चौधरी के द्वारा दिनांक 08.05.2010 को अपना द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया। जिसमें उनके द्वारा निम्न बातों का उल्लेख किया गया है :–

आपके पत्रांक 247/जि0स्था0, दिनांक 15.02.2010 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया है। इसके सम्बन्ध में श्रीमान् को कहना है कि श्रीमान् जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को दिनांक 17.07.2007 को एवं श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी

को दिनांक 05.01.09 को मैं अपना स्पष्टीकरण समर्पित कर चुका हूँ, जिसका फोटो कॉपी संलग्न कर दे रहा हूँ।

श्री चौधरी, राजस्व कर्मचारी, विस्फी द्वारा अपने कारण पृच्छा में यह भी उल्लेखित किया गया है कि अपने लम्बे सेवा काल में मेरी वसूली एवं अन्य राजस्व कार्य कभी असंतोषप्रद नहीं रहा है। अपने सेवा काल में कभी भी उच्चाधिकारी के मौखिक अथवा लिखित आदेश का कोई अवहेलना नहीं किया है। उनके द्वारा लगाए आरोपों से मुक्त करने अनुरोध किया गया है।

तदोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक–1248/जि0स्था0 दिनांक–30.07.2010 एवं तृतसम्बन्धी स्मार पत्रांक–231मु0/जि0स्था0 दिनांक–07.12.2010, पत्रांक–397/जि0स्था0 दिनांक–03.03.2011, पत्रांक–719 दिनांक–14.06.2011, पत्रांक–1040 दिनांक–03.08.2011, पत्रांक–1408 दिनांक–24.09.2011, पत्रांक–1847 दिनांक–26.12.2011, पत्रांक–313 दिनांक–13.02.2012, द्वारा अंचल अधिकारी, खजौली से श्री मधुप नारायण चौधरी, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, खजौली अंचल, हल्का नम्बर–03 द्वारा विगत 03(तीन) वर्षों यथा वर्ष–2003–04, 2004–05 एवं 2005–06 में राजस्व संग्रहण से सम्बन्धी प्रतिवेदन की मांग की गयी। उक्त वर्णित पत्रों के आलोक में अंचल अधिकारी, खजौली के पत्रांक–108 दिनांक–12.02.2012 द्वारा निम्न प्रतिवेदन भेजी गयी है :

1. वर्ष 2003–04 में 26.07.2003 से 31.03.2004 तक – 39334.00
2. वर्ष 2004–05 में 20.04.2004 से 14.05.2005 तक – 127134.00
3. वर्ष 2005–06 में 07.07.2005 से 30.03.2006 तक – 100753.00

कुल – 267221.00

अंचल अधिकारी, खजौली के उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री मधुप नारायण चौधरी, राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध चल रहे विभागीय कार्यवाही के निष्पादन हेतु उक्त अवधि में कार्यरत अन्य कर्मियों (आरोपी सहित) का वर्ष 2003–04, 2004–05 एवं 2005–06 में की गयी राजस्व वसूली एवं दाखिल–खारिज सम्बन्धी प्रतिवेदन की मांग इस कार्यालय के पत्रांक–688/जि0स्था0 दिनांक–09.04.2012 एवं तृतसम्बन्धी स्मार पत्रांक–988 दिनांक–16.06.2012, पत्रांक–845 दिनांक–29.05.2014 द्वारा अंचल अधिकारी, खजौली से की गयी।

अंचल अधिकारी, खजौली से वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के फलस्वरूप विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित प्रतिवेदन पर अंतिम निर्णय अनिर्णित रहने के क्रम में ही श्री चौधरी, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, खजौली अंचल सम्प्रति–लौकही अंचल दिनांक–31.01.2014 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन स्वतः परिवर्तित होकर बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम 43(बी) के तहत संचालित होने एवं उक्त नियम के आलोक में अंतिम आदेश पारित करने का निर्णय इस कार्यालय के ज्ञापांक–947 दिनांक–13.05.2016 द्वारा लिया गया।

पुनः अंचल अधिकारी, खजौली से कार्यालय के पत्रांक–1603 दिनांक–03.09.2016 द्वारा इनके विरूद्ध चल रहे विभागीय कार्यवाही का निष्पादन हेतु उक्त अवधि में कार्यरत अन्य कर्मियों का राजस्व वसूली एवं दाखिल–खारिज सम्बन्धी प्रतिवेदन भेजने हेतु स्मारित किया गया।

उपरोक्त पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी, खजौली के पत्रांक–279 दिनांक–08.03.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक–13.10.2012 को उपद्रवी तत्वों द्वारा अंचल कार्यालय, खजौली को जला दिये जाने के कारण सभी कागजात/पंजी एवं अभिलेख नष्ट हो गया। अतः श्री मधुप नारायण चौधरी, राजस्व कर्मचारी से अंचल कार्यालय, खजौली में पदस्थापन, योगदान एवं विरमित सम्बन्धी सूचना देना संभव नहीं है। उक्त पत्र के साथ अंचल कार्यालय, खजौली को लूट–पाट एवं पूर्ण रूपेण जलाकर ध्वस्त होने से सम्बन्धी अंचल अधिकारी, खजौली द्वारा खजौली

थाना में दर्ज कराए गये प्राथमिकी कांड संख्या–171/2012 दिनांक–14.10.2012 की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित आरोप और आरोपी कर्मी द्वारा उक्त गठित आरोप पत्र पर समर्पित विन्दुवार स्पष्टीकरण के आलोक में उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, खजौली द्वारा समर्पित प्रतिवेदन/मंतव्य तथा संचालन पदाधिकारी के अभिलेखबद्ध जाँच प्रतिवेदन के विवेचना से स्पष्ट होता है कि उनके विरूद्ध आरोप पत्र में मुख्यतः अल्प/नगण्य राजस्व वसूली का आरोप उल्लेखित है। प्रतिवेदनानुसार अंचल अधिकारी, खजौली द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में दिनांक–31.03.2007 तक 61250.00 रूपये वसूली करने का उल्लेख किया गया है, जो मांग का 53 प्रतिशत है। शेष सभी कंडिका पर आरोप मुक्त करने हेतु प्रतिवेदित किया गया है। उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में भी आरोप संख्या–01 से 05 तक गठित आरोपों पर प्रतिवेदित किया गया है कि आरोपी का स्पष्टीकरण सही है और उन्हें आरोप मुक्त करने का अनुशंसा संचालन पदाधिकारी द्वारा किया गया है। साथ ही अन्य सम्बन्धित प्रतिवेदन दिनांक–13.10.2012 को उपद्रवी तत्वों द्वारा खजौली अंचल में किये गये आगजनी के कारण जल कर नष्ट हो गया है और इसके लिये खजौली थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराया गया है। श्री चौधरी द्वारा राजस्व वसूली नगण्य रहने पर पूर्व में ज्ञापांक–617 दिनांक–06.10.2010 द्वारा इन्हें चेतावनी भी दी गयी थी। इस प्रकार अधोहस्ताक्षरी, उपस्थापन पदाधिकारी एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित जाँच प्रतिवेदन से सहमत हैं। इस मामले पर अब किसी प्रकार की अग्रेतर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है।

अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त श्री मधुप नारायण चौधरी, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, खजौली अंचल सम्प्रति–सेवानिवृत्त (से0नि0–31.01.2014) लौकही अंचल को प्रपत्र–'क' में गठित आरोप से मुक्त करते हुये इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

सभी सम्बद्ध को सूचित करें।

जिला दण्डाधिकारी
एवं समाहर्त्ता, मधुबनी।

ज्ञापांक 1397 /जि0स्था0, मधुबनी, दिनांक 4/08/2019 ई0।

प्रतिलिपि : श्री मधुप नारायण चौधरी, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, खजौली अंचल सम्प्रति–सेवानिवृत्त (से0नि0–31.01.2014) लौकही अंचल स्थायी पता–ग्राम+पो0–शाहपुर, थाना–पंडौल, जिला–मधुबनी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, खजौली/लौकही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी/फुलपरास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिप : अपर समाहर्त्ता, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी/प्रभारी आई0टी0 मैनेजर, मधुबनी को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ एवं सभी संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल से पत्र भेजने हेतु प्रेषित।

04/8/19
जिला दण्डाधिकारी
एवं समाहर्त्ता, मधुबनी।